1892 का भारतीय परिषद अधिनियम (भाग-2)

THE INDIAN COUNCIL ACT,1892

For:P.G.Sem-3, CC-13,Unit-4

अधिनियम की धाराएं

1. 1892 अधिनियम में केवल भारतीय विधान परिषदों की शक्तियां,कार्य तथा रचना की बात कही गई थी। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई।
    - केंद्रीय विधान मंडल के विषय में इस अधिनियम के अनुसार यह निश्चित किया गया कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 10 हो तथा अधिक से अधिक 16 हो।
    - गवर्नर जनरल को यह शक्ति दी गई कि वह भारत सचिव की सहमति से वे अधिनियम बनाएं जिनके अनुसार इन अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत किया जा सके।
    - इस अधिनियम में यह भी सुझाव था कि इस परिषद के न्यूनतम 40% सदस्य **अराजकीय**(Non official) होने चाहिए। इन अराजकीय सदस्यों में से कुछ चुने हुए

Scanned with CamScanner

तथा अन्य मनोनीत होने चाहिए। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अतिरिक्त सदस्य के रूप में मनोनीत किया जा सकता था।

2. इस अधिनियम के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों को सदन में दिए गए **वार्षिक वित्तीय विवरण** (बजट)पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दे दिया गया लेकिन इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन के मत विभाजन कराने की अनुमति उन्हें नहीं थी।
    - सदस्यों को यह भी अधिकार दिया गया कि वे सर्वसाधारण के हितों से संबंध रखने वाले विषयों पर कुछ सीमा तक सरकार से प्रश्न पूछ सकते थे परंतु इसके लिए उन्हें 6 दिन की सूचना देनी आवश्यक थी।
3. प्रांतीय विधान मंडलों के विषय में भी इस अधिनियम द्वारा अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। **बम्बई मद्रास** तथा **बंगाल** में यह संख्या न्यूनतम **8** तथा अधिकतम **20** निश्चित की गई, किंतु **उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत** (आधुनिक उत्तर प्रदेश) में अधिकतम सीमा केवल **15** ही निश्चित की गई।

Scanned with CamScanner

- सदस्यों को कार्यकारी परिषद से सार्वजनिक हितों के मामलों पर प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। इसी प्रकार वे भी सरकारी नीतियों पर प्रश्न पूछ सकते थे जिसके लिए 6 दिन की सूचना आवश्यक थी परंतु यदि सरकार चाहे तो कारण बताए बिना प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार कर सकती थी।

4. इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता **निर्वाचन पद्धति** का आरंभ करना था। वास्तव में इस अधिनियम में कहीं भी निर्वाचन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था। इसके धारा 1(4) के अंतर्गत केवल इतना कहा गया था कि- **गवर्नर जनरल के लिए संभव हो सकेगा वह ऐसी व्यवस्था करें जिससे कुछ ऐसे व्यक्ति निर्देशित किए जाएं जो कि चुनाव द्वारा चुने जाएं यदि ऐसे चुनाव का गवर्नर जनरल प्रबंध कर सकें ।** नियमों के अनुसार कुछ गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन अब कुछ विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों और संस्थानों की सिफारिश पर होना था।

- केंद्रीय विधान मंडल में अधिकारी वर्ग के अतिरिक्त **'10 अतिरिक्त सदस्य'** जिनमें से पांच चुने हुए

Scanned with CamScanner

अशासकीय सदस्य होते थे। इनमें से चार चारों प्रांतों के प्रांतीय विधान मंडलों के अशासकीय सदस्य तथा पांचवा कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्य निर्वाचित करते थे।

- प्रांतीय विधान मंडलों के अशासकीय सदस्यों को नगर पालिकाएँ, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल निर्वाचित करते थे।
- निर्वाचन की पद्धति न केवल अप्रत्यक्ष थी बल्कि इन निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत(Nominated) की संज्ञा दी जाती थी।
- ये सभी इकाइयां एकत्रित होकर सदस्यों को निर्वाचित करती थी फिर भी इन व्यक्तियों के नामों की सिफारिशें गवर्नर जनरल अथवा गवर्नरों को भेजती थी। गवर्नर जनरल इन्हें मनोनीत कर देता था। इस प्रकार बहुमत से चुने हुए व्यक्ति भी निर्वाचित नहीं कहलाते थे।

To be continued....

BY:ARUN KUMAR RAI
Asst.Professor
P.G.Dept.of History
Maharaja College,Ara

Scanned with CamScanner